5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

140

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग - 450 - I - 16

श्री चिनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 1.2.2016 प्रस्तुत
1.2.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. हरवीर सिंह पुत्र सोमा चमार
2. हरीचरन पुत्रगण सोमा चमार
3. कमल सिंह पुत्र हीरा मेहतर
4. घनश्याम पुत्र चंदू मेहतर
5. सीताराम पुत्र लालाराम मेहतर
6. परमाल पुत्र भागचंद चिढार
7. निशान सिंह पुत्र जसवंत खंगार
8. किशन सिंह पुत्र भीका चमार
9. हीरा पुत्र बजीरा मेहतर
10. चंदू पुत्र बजीरा मेहतर
11. रमेश पुत्र पूरन चमार
12. हरिओम पुत्र मथुरा चिढार
13. भानु पुत्र मनसींगा चमार
14. भुजबल पुत्र पूरन चमार
15. बाबू पुत्र स्व. श्री ननुआ
16. रामदयाल पुत्र स्व. ननुआ मेहतर

समस्त निवासीगण ग्राम जाजनखेड़ी
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र दिमान सिंह लोधी
2. हरी सिंह पुत्र मूलचन्द्र लोधी
3. रघुवीर पुत्र तोफोन सिंह लोधी

समस्त निवासीगण – ग्राम जाजनखेड़ी
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 450–एक/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अश्रिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर सँभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 940/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2016 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 61/ अ–19/ 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24–5–2002 से ग्राम जाजनखेड़ी में आवेदकगण के हित में भूमि का आवंटन किया। आवंटन आदेश दिनांक 24–5–2002 के विरूद्व अनावेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष दिनॉक 7–7–2004 को प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्र0क00119/2003–04 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–7–2009 से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी होने पर प्र0क0 44/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दि0 8–6–10 से निगरानी अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्र0 क0940/ 09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–1–16 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।	

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन अनुसार नायव तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 61/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24–5–2002 से आवेदकगण के हित में भूमि का आवंटन किया है एंव मौके पर हलका पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करके तत्समय पट्टाग्रहीताओं को कब्जा प्रदान किया है। अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष बन्टन आदेश दिनांक 24–5–02 के विरूद्व दिनांक 7–7–2004 को अर्थात दो वर्ष डेढ़ माह वाद अपील प्रस्तुत की है जबकि आवेदकगण एंव अनावेदकगण एक ही ग्राम के निवासी है तब क्या हलका पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा मौके पर सीमांकन करने तत्समय पट्टा–ग्रहीताओं को कब्जा प्रदान करने की जानकारी अनावेदक को नहीं हुई होगी? अनावेदकगण व्दारा अवधि विधान की धारा–5 में लिया गया आधार उचित प्रतीत नहीं होता है, जब अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बन्टन आदेश दिनांक 24–5–02 के विरूद्व दिनांक 7–7–2004 को अपील प्रस्तुत की हैं, अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण में 7–7–04 से 31–7–09 तक व्यर्थ पेशियॉ लगाकर लम्बी अवधि व्यतीत करना एंव 5 वर्ष उपरांत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर निर्णय लेना न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने की श्रेणी में है।

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 450–एक/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अश्रिभाषकों के हस्ताक्षर

1. रामलाल बनाम रीवा कोल फील्डस लिमिटेड 1962 म.प्र.लॉ.ज. 602 एंव बबीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45(म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है क अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–47– एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी.नो0 193 से अनुसरित)
3. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – विलम्ब क्षमा किये जाने की मांग धारा–5 के आवेदन में की गई। विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(स्टेट आफ एम.पी. बनाम फकीरचंद 1980(2) म0प्र0वी0नो0 199 एंव स्टेट आफ एम.पी. बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे. एल.जे. 36 एम.पी.से अनुसरित

उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 450–एक/2016 जिला अशोकन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प अ के

आदेश दिनांक 31–7–09 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इन परिस्थितियों पर अपर कलेक्टर अशोकनगर एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा ध्यान न देने के कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी त्रृटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर सॅभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 940/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2016, अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 44/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–6–10 तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 119/2003–04 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–7–2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य